बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 19/06/26

सं0सं0–प्र0–I–रा0(आ0)–33/2025–......................../एम0, श्री मुकेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा द्वारा दिनांक 13.10.2025 को VC के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक में भाग नहीं लेने तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में नालंदा के लिए निर्धारित कुल वार्षिक लक्ष्य 7020.91 लाख के विरूद्ध सितम्बर, 2025 तक निर्धारित लक्ष्य 1404.18 लाख के विरूद्ध 1093.94 लाख जो कुल वार्षिक लक्ष्य का 15.58 प्रतिशत है, की वसूली किये जाने के कारण उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर पत्रांक 6097 दिनांक 11.11.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गई।

श्री मुकेश कुमार, सहायक निदेशक द्वारा पत्रांक 330 दिनांक 19.03.2026 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वे समाहर्त्ता, नालंदा के निदेश के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित जिला परिवहन प्रबंध कोषांग में प्रतिनियुक्त थे। इसके बावजूद वे समीक्षात्मक बैठक में जुड़े थे। साथ ही कम राजस्व वसूली के संबंध में उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि सितम्बर, 2025 तक वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 1404.18 लाख के विरूद्ध उनके द्वारा 1093.94 लाख की वसूली किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य से 310.24 लाख कम है। वित्तीय वर्ष 2025–26 का नालंदा का कुल राजस्व समाहरण लक्ष्य 5682.57 लाख के विरूद्ध 4711.82 लाख की वसूली की गई, जो कुल लक्ष्य का 75.75 प्रतिशत है।

श्री मुकेश कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई। समीक्षा से स्पष्ट है कि उनके द्वारा माह सितम्बर, 2025 तक कुल निर्धारित लक्ष्य 20 प्रतिशत के विरूद्ध मात्र 15.58 प्रतिशत की वसूली की गई है, जो लक्ष्य से अपेक्षाकृत कम है। साथ ही दिनांक 13.10.2025 को VC के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक में वे अनुपस्थित पाये गये थे, जो उनके कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत श्री मुकेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना अर्थात असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–33/2025–................................/एम0, पटना, दिनांक........................
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–प्र0– I–रा0(आ0)–33 / 2025–................................ / एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0– I–रा0(आ0)–33 / 2025–................................ / एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, नालंदा को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–33 / 2025–................................ / एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–श्री मुकेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–33 / 2025–....3919.......... / एम0, पटना, दिनांक.19/06/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / राजपत्रित स्थापना (मु0) / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6/26

सरकार के अपर सचिव।